न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 53 / 2022

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति साधू
2. भंवरलाल पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर
3. महेश पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी जगपुरा

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता सीताराम रावत

वनाम

1. छोटूलाल पुत्र सरदार सिंह जाति गुर्जर निवासी जगपुरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
3. राजू पुत्र रामेश्वर
4. रिंकू पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी जगपुरा

—— अप्रार्थीगण :— संख्या 1 जरिये अधिवक्ता हीरालाल माली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: आदेश :—

दिनांक :— 8.7.22

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जगपुरा में स्थित है जिसका वर्णन वर्तमान जमाबन्दी अनुसार निम्न प्रकार है:—

खाता संख्या	आधार जमाबंदी खसरा नम्बर हाल	रकबा	किस्म
115 / 119	179	0.27	बारानी 3

वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण एवं प्रफॉर्मा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता रामेश्वर संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा खातेदारी भूमि में सुरक्षार्थ दीवार बनाना शुरू किया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.5.2022 को लडाई झगडा शुरू करते हुए दीवार का कार्य रोक दिया गया तथा खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी भूमि में निर्माण कार्य सुरक्षार्थ दीवार किया जावे तो अप्रार्थी द्वारा रोका नहीं जावे एवं बेदखल नहीं करे। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी ने निवेदन किया की खसरा नम्बर 179 रकबा 0.27 पर वर्षो पूर्व पक्के मकान व बा[illegible] है। खसरा नम्बर 179 के सटाकर आबादी भूमि है आबादी में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिये हुए [illegible]व का वर्षो पुराना रास्ता करीब 31 से 35 फुट बना हुआ है। जिसकी दो बार [illegible] द्वारा मौका कमिश्नर करवाई जा चुकी है। मौका कमिश्नर अनुसार दिनांक 1[illegible] को मूल प्रा[illegible]पत्र के निस्तारण तक प्रार्थना ग्रस्त रास्ते को अवरोधित नहीं करने बाबत प्रार्थी [illegible] न्यायाल[illegible] विचाराधीन है। किन्तु उक्त आदेश के बावजूद भी प्रार्थी [illegible] की बदनियती [illegible] खसरा नम्बर 179 जो की रास्ते से अलग है उसकी आड में सम्पूर्ण रास्ते पर अतिक्रमण कर निर्माण करना चाहता है। सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थीगण को होने के बावजूद भी प्रार्थीगण ने श्रीमान के समक्ष अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

01 के विरूद्ध झूँठा दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण सम्पूर्ण सार्वजनिक रास्ते को हडपने के लिए निर्माण कार्य कर रहे है। सिविल कोर्ट नसीराबाद में सिविल प्रार्थना विचाराधीन है जिसमें ताफैसला मूल प्रार्थना तक यथास्थिति के आदेश विचाराधीन है। दिनांक 3.2.2022 व 5.2.2022 को स्टेशुदा भूमि पर पुरानी दीवार तोडकर पूरे रास्ते पर जेसीबी द्वारा नीमें खुदवाकर रास्ता पर बडी बडी दीवारों का निर्माण चालू कर दिया। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी व्यय से खारिज करने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र मे निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1 प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भंवरलाल पुत्र
महावीर व रामेश्वर पुत्र प्रभूलाल की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा सिविल कोर्ट के स्टे की
प्रति, मौका कमिश्नर की प्रति, ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की प्रति अपने जवाब के साथ प्रस्तुत की है।
प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु सार्वजनिक रास्ते पर दीवार निर्माण कर रास्ता अवरूद्ध करने से है। जिसमें
माननीय न्यायाय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नसीराबाद के द्वारा दिनांक 15.1.2021 को
ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया गया की विवादग्रस्त रास्ते को अवराधित न करें। धारा
212 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई प्रार्थना का विनिश्चयन करते समय प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा
का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति के तीनों घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति का
विवादग्रस्त भूमि पर क्या अधिकार है यह तो साक्ष्यों के परीक्षण और उसके आधार पर वाद की कार्यवाही के
दौरान अंतिम निर्णय पर ही तय हो सकता है। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अधिकारों का निर्णय
नहीं किया जा सकता है। इसमे तो यही देखा जाना अपेक्षित है कि वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन
क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में बनता है या नहीं।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जव अस्थायी निषेधाज्ञा
चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।
प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में दस्तावेज भी पेश किये है। शेष तथ्य मूल
वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्ध होंगे। प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 3 व 4 आराजी मुतनाजा के वर्तमान में संयुक्त
खातेदार है अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पावंद नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थी के
पक्ष में होती है। शेष तथ्य मूल वाद में तय होंगे। अतः वाद बहुलता रोकने के उद्देश्य से प्रार्थीगण के पक्ष में
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में सफल रहे है कि अस्थायी
निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर उन्हें क्या अपूरणीय क्षति होगी।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में
रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी
प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

आदेश – अत ग्राम जगपुरा के खाता संख्या 115/119 खसरा नम्बर 179 रकबा 0.27 हैक्टर की
आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक
जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे
दखलदाजी नही करे व स्वयं की खातेदारी भूमि पर नियमानुसार [illegible] निर्माण कार्य करने से नही
रोके। प्रार्थीगण को भी पावंद किया जाता है कि निर्माण कार्य से किसी [illegible] प्रकार रास्ता अवरूद्ध नही करे।
तथा कब्जे की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 8/[illegible]/22 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद